

विद्युत विभाग (टीआरएस)

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (बी) के
संदर्भ में सूचना

उप संकशन	मांगी गई जानकारी	अभ्युक्ति
4 (b) (i)	संगठन के कार्यों और कर्तव्यों का विवरण	विद्युत टीआरएस संगठन (इलेक्ट्रिक लोको शेड) विजयवाड़ा मंडल, दक्षिण मध्य रेलवे के अधिकार क्षेत्र में स्थित है। कार्य और कर्तव्य: विद्युत लोको शेड विद्युत इंजनों के रखरखाव और मरम्मत की सुविधा में शामिल है। निम्नलिखित गतिविधियों को अंजाम देकर सुरक्षित और विश्वसनीय संचालन सुनिश्चित करने के लिए WAP4, WAG5, WAG7 और WAP7 प्रकार के इंजनों का रखरखाव; निवारक अनुरक्षण अनुसूचियों में शामिल हैं: (i) प्रमुख अनुसूचियां: एओएच, टीओएच और आईओएच (ii) लघु अनुसूचियां: आईए, आईबी और आईसी ब्रेकडाउन अनुरक्षण अनुसूचियों में शामिल हैं: (i) ईएलएस/बीजेडए के लोकोमोटिव और आसपास के क्षेत्र में चल रहे अन्य होमिंग शेड की मरम्मत ईएलएस/बीजेडए की। लोकोमोटिव रखरखाव के अलावा, शेड विजयवाड़ा, गुंटूर और गुंतकल डिवीजनों की ओएचई टॉवर कारों के एओएच, आईओएच जैसे प्रमुख शेड्यूल भी करता है। संगठन चार्ट से संबंधित जानकारी दक्षिण मध्य रेलवे की वेबसाइट www.scr.indianrailways.gov.in पर उपलब्ध है।
4 (b) (ii)	अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य	अधिकारी: रेलवे बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों की अनुसूची के अनुसार अधिनियम और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से संबंधित सभी रखरखाव कार्य करना। कर्मचारी: सभी टीआरएस कर्मचारियों को समय-समय पर नियमावली, नियम पुस्तिकाओं, तकनीकी परिपत्रों आदि में निर्दिष्ट विभिन्न नियमों और विनियमों के तहत लोकोमोटिव शेड्यूल, मरम्मत के रखरखाव में कर्तव्यों का पालन करना होता है।

4 (b) (iii)	पर्यवेक्षण के चैनलों सहित निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया	रेलवे बोर्ड, जोनल और मंडल कार्यालय से समय-समय पर जारी सामान्य और सहायक नियमों, रखरखाव नियमावली, दुर्घटना नियमावली, शक्तियों की अनुसूची, नीति परिपत्र / पत्र / निर्देश / संयुक्त प्रक्रिया आदेश आदि के अनुसार प्रक्रिया का पालन किया जाता है।
4 (b) (iv)	कार्यों के निर्वहन के लिए इसके द्वारा निर्धारित मानदंड	रेलवे बोर्ड, जोनल, मंडल कार्यालय और आरडीएसओ से जारी सामान्य और सहायक नियमों, रखरखाव नियमावली, दुर्घटना नियमावली, शक्तियों की अनुसूची, नीति परिपत्र / पत्र / निर्देश / संयुक्त प्रक्रिया आदेश, आरडीएसओ एसएमआई के संशोधन, तकनीकी परिपत्र आदि के अनुसार प्रक्रिया का पालन किया जाता है, जो समय समय पर जारी किये जाते हैं।
4 (b) (v)	इसके द्वारा धारित या इसके नियंत्रण में या इसके कर्मचारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले नियम, विनियम, निर्देश, मैनुअल और रिकॉर्ड।	सामान्य और सहायक नियमों के अनुसार, रखरखाव नियमावली, दुर्घटना नियमावली। इसके अतिरिक्त, रेलवे बोर्ड/जोनल रेलवे/मंडल कार्यालय से समय-समय पर जारी नीति परिपत्र/महत्वपूर्ण पत्र/निर्देश/संयुक्त प्रक्रिया आदेश आदि।
4 (b) (vi)	इसके द्वारा या इसके नियंत्रण में रखे गए दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण।	रेलवे बोर्ड, जोनल और मंडल कार्यालय से समय-समय पर जारी सामान्य और सहायक नियम, रखरखाव नियमावली, दुर्घटना नियमावली, शक्तियों की अनुसूची, तकनीकी परिपत्र, नीति परिपत्र / पत्र / निर्देश / संयुक्त प्रक्रिया आदेश आदि।
4 (b) (vii)	किसी भी व्यवस्था का विवरण जो जनता के सदस्यों के साथ परामर्श या प्रतिनिधित्व के लिए मौजूद है, इसकी नीति के निर्माण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में।	इसकी नीति के निर्माण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों द्वारा परामर्श, प्रतिनिधित्व का कोई प्रावधान नहीं है।

4 (b) (viii)	<p>बोर्ड, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का एक बयान जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति शामिल हैं, जो इसके हिस्से के रूप में या इसकी सलाह के उद्देश्य से गठित हैं, और क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली हैं, या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त जनता के लिए सुलभ हैं।</p>	ऐसा कोई प्रावधान मौजूद नहीं है।
4 (b) (ix)	<p>अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की एक निर्देशिका।</p>	अनुलग्नक-ए के रूप में टीआरएस संगठन निर्देशिका संलग्न है.
4 (b) (x)	<p>इसके नियमों में प्रदान की गई मुआवजे की प्रणाली सहित, इसके प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक।</p>	यह वित्त मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा अधिकारियों और कर्मचारियों के निर्दिष्ट ग्रेड के लिए तय किया जाता है। यह मद लेखा और कार्मिक विभागों के दायरे में है।
4 (b) (xi)	<p>अपनी प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट जिसमें सभी पैन, प्रस्तावित व्यय और किए गए संवितरण पर रिपोर्ट का विवरण होता है।</p>	<p>बजट स्थायी नहीं होता है और हर साल प्राथमिकताओं और जरूरतों के अनुसार बदलता रहता है। विभिन्न कार्यों में व्यय किया जाता है। कार्यों के महत्व और तात्कालिकता के आधार पर बजट आवंटित किया जाता है। समय-समय पर समीक्षा की जाती है और तदनुसार आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन किए जाते हैं।</p>

4 (b) (xii)	आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के विवरण सहित सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका।	लागू नहीं
4 (b) (xiii)	इसके द्वारा दी गई रियायतों, परमिटों या प्राधिकरणों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण।	लागू नहीं
4 (b) (xiv)	उपलब्ध या धारित सूचना के संबंध में विवरण, जिसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में कम किया गया है।	संगठन, इसके विकास, उद्देश्यों, योजना, शक्ति आदि से संबंधित जानकारी दक्षिण मध्य रेलवे की वेबसाइट - http://www.scr.indianrailways.gov.in पर पहले ही उपलब्ध करा दी गई है।
4 (b) (xv)	जानकारी प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण, जिसमें पुस्तकालय या वाचनालय के काम के घंटे शामिल हैं, यदि सार्वजनिक उपयोग के लिए बनाए रखा गया है।	टीआरएस संगठन किसी भी सार्वजनिक पुस्तकालय का रखरखाव नहीं करता है। हालांकि, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक नागरिक पीआईओ को प्रश्न भेज सकते हैं या S.C.Rly पर सामान्य जानकारी वेबसाइट http://www.scr.indianrailways.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।
4 (b) (xvi)	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण।	अपीलीय प्राधिकारी – अमरेप्र/विजयवाड़ा(इन्फ्रा) कार्यालय फोन नं. : 0866-2573302 सजसूअधि – वरि.मंडल विद्युत इंजीनियर (टीआरएस) रेलवे. नं. : 62550 कार्यालय फोन नं. : 0866-2561799

4 (b) (xvii)	इस तरह की अन्य जानकारी जो निर्धारित की जा सकती है और उसके बाद हर साल इन प्रकाशनों को अद्यतन किया जा सकता है।	कुछ नहीं
4(1)(b)(xviii)	राजस्व विभाग में इनकंबेंसी की स्थिति	लागू नहीं

अनुलग्नक -A

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	रेलवे फोन नं.	सूयूजी फोन नं	मेल आईडी
1	सीएच. दिनेश रेड्डी	वरि.मं.वि.इंजी.	62550	9701373302	srdeetrs@bza.railnet.gov.in
2	के. सुदर्शन रेड्डी	मं.वि.इंजी.	62530	9701373303	srdeetrs@bza.railnet.gov.in
3	वाई. रवि कुमार	स.म.वि.इंजी.-I	62557	9701373311	srdeetrs@bza.railnet.gov.in
4	आर. नागेश्वर राव	स.म.वि.इंजी.-II	62541	9701373310	srdeetrs@bza.railnet.gov.in